राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–6)

☎ 0141-2227052
✉ pdsap-rd-rj@gov.in Website: rdprd.gov.in

क्रमांक एफ.52(23)/ग्रावि/ग्रुप–6/जालौर/2014/2293 जयपुर, दिनांक 01 AUG 2022

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद,–(ग्रा.वि.प्र.),
जालौर, राजस्थान।

विषयः–सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत अनुशंषित कार्य के मार्गदर्शन के संबंध में।

प्रसंगः–आपका पत्रांक 2982 दिनांक 14.07.2022 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के माध्यम से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत अनुशंषित कुल 14 कार्यों के संबंध में चाहे गए मार्गदर्शन के संबंध में निवेदन है कि योजना की मार्गदर्शिका के अनुबंध IV ड. के बिन्दु संख्या VII "अन्य लोक सुविधाएं" (07) के उप बिन्दु संख्या 13 में 'सरकारी संगठनों हेतु अग्नि टेंडर' अनुमत है।

अतः प्रासंगिक पत्र में क्रम संख्या 01 से 13 तक सरकारी संगठनों में अभिशंषित कार्य निम्नांकित प्रावधानों तथा निर्देशिका के अन्य संगत प्रावधानों की पूर्ण पालना जिला स्तर पर सुनिश्चित करते हुये अनुमत है तथा क्रम संख्या 14 पर अभिशंषित कार्य गैर सरकारी संगठन में अभिशंषित होने की स्थिति में गैर अनुमत है।

1. योजना की मार्ग–दर्शिका के बिन्दु संख्या 3.6 के अनुसार जिला प्राधिकारी को स्वीकृत कार्य के निष्पादन से पूर्व प्रस्तावित परिसंपत्ति के प्रचालन, अनुरक्षण के संबंध में संबंधित उपयोगकर्ता एजेंसी से अग्रिम रूप से दृढ़ वचनबद्धता प्राप्त करनी चाहिए।
2. मार्गदर्शिका के अनुबंध II के बिन्दु संख्या 12 के अनुसार अभिशंषित कार्यों पर समस्त राजस्व और आवर्ती व्यय योजनान्तर्गत गैर अनुमत है।
3. अनुबंध IV ड. टिप्पणी (ख) में "परिचालन तथा अनुरक्षण की लागत प्रयोक्ता सरकार/मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा वहन की जाएगी (यह घटक कार्य को आरम्भ करने से पहले जिला प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा)।"
4. योजनान्तर्गत प्रावधानों के अनुसार भविष्य में फायर ब्रिगेड संचालन हेतु वाहन चालक तथा फायरमेन आदि के पद स्वकृति योग्य नहीं है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
(बाबुलाल वर्मा)
परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (एसएपी)

प्रतिलिपिः–1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद–समस्त, राजस्थान को सूचनार्थ प्रेषित हैं।
2. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

(हस्ताक्षर)
परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (एसएपी)